पत्रांक–9A / सै0–विविध (सरकारी भूमि)–64 / 2023–1587 (9A) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक।

ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–16/06/2026

विषय :– दाखिल–खारिज के समय सरकारी भूमि से आच्छादित जमाबंदियों की जाँच एवं मिलान के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–487(9A), दिनांक–27.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध मे कहना है कि सभी तरह की सरकारी भूमि (खतियान के अनुसार) की ऑनलाइन Entry तथा सरकारी भूमि के सत्यापन (Verification) हेतु विभाग द्वारा बिहारभूमि अंतर्गत ई–जमाबंदी मॉड्यूल में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। खतियान एवं सरकारी भूमि पंजी के आधार पर दर्ज प्रविष्टि और सत्यापन कार्य पर आधारित विभिन्न राजस्व ग्रामों की सरकारी भूमि वाली जमाबंदियों को चिन्हित कर इसकी सूची अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित की गयी है। लॉगिन में अंचलों द्वारा Entered एवं Verified सरकारी भूमि पंजी (खतियान / पंजी) को आधार बनाकर उन सभी जमाबंदियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सरकारी भूमि पंजी में दर्ज खेसरा मौजूद हैं। साथ ही, विभागीय पत्रांक–487(9A), दिनांक–27.02.2026 के माध्यम से सरकारी भूमि से संबंधित जमाबंदियों की सूची देखने की प्रक्रिया भी संसूचित है (छायाप्रति संलग्न)।

विभागीय समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि अंचल स्तर पर दाखिल–खारिज निष्पादन की प्रक्रिया के समय सरकारी भूमि से आच्छादित जमाबंदियों का मिलान नहीं किया जाता है, जिसके कारण सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी कायम होने की संभावना बनी रहती है।

अतः अनुरोध है कि प्रत्येक दाखिल–खारिज के निष्पादन के समय पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी भूमि की सूची से मिलान एवं जाँच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/6/26

(मोना झा),
उप निदेशक।

पत्रांक–9A/सै0–विविध (सरकारी भूमि)–64/2023–......482......(9A)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय।

ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–...27.02.26

विषय :– सरकारी भूमि से आच्छादित जमाबंदियों को चिन्हित कर प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2996(9), दिनांक–05.10.2023, पत्रांक–3585(9), दिनांक–05.12.2023 एवं पत्रांक–2821(9), दिनांक–01.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध मे कहना है कि जिलान्तर्गत अवस्थित सभी तरह की सरकारी भूमि (खतियान के अनुसार) की ऑनलाइन Entry की गयी है तथा सरकारी भूमि के सत्यापन (Verification) हेतु विभाग द्वारा बिहारभूमि अंतर्गत ई–जमाबंदी मॉड्यूल में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

खतियान एवं सरकारी भूमि पंजी के आधार पर दर्ज प्रविष्टि और सत्यापन कार्य पर आधारित विभिन्न राजस्व ग्रामों की सरकारी भूमि वाली जमाबंदियों को चिन्हित कर इसकी सूची अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित की गयी है। लॉगिन में अंचलों द्वारा Entered एवं Verified सरकारी भूमि पंजी (खतियान/पंजी) को आधार बनाकर उन सभी जमाबंदियों को चिन्हित किया गया है जिनमें सरकारी भूमि पंजी में दर्ज खेसरा मौजूद हैं।

सरकारी भूमि से संबंधित जमाबंदियों की सूची देखने की प्रक्रिया निम्नवत् है :–

i. अंचल अधिकारी बिहारभूमि पोर्टल पर e–Jamabandi मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे।

ii. लॉगिन के बाद "Reporting" मेनू में जाकर "Search Govt Land Jamabandi" विकल्प पर क्लिक करेंगे।

iii. अब जिला, अंचल, हल्का, मौजा तथा वर्तमान में चल रहे जमाबंदी का आधार का चयन करेंगे।

iv. तदोपरान्त "Search" बटन पर क्लिक करेंगे।

v. स्क्रीन पर उस राजस्व ग्राम (मौजा) की सभी ऐसी जमाबंदियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी, जिनमें सरकारी भूमि पंजी में दर्ज खेसरा शामिल है।

अतएव अनुरोध है कि विभागीय पोर्टल में किये गये उक्त प्रावधानों से अधीनस्थ अंचल अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

27/2/26

(मोना झा),
उप निदेशक।

ई—मेल ज्ञापांकः—9A/सै0—विविध (सरकारी भूमि)—64/2023—487—(9A)/रा0 दिनांक 27.02.26

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा)
उप निदेशक।

ज्ञापांकः—9A/सै0—विविध (सरकारी भूमि)—64/2023—487—(9A)/रा0 दिनांक 27.02.26

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मोना झा)
उप निदेशक।

E:\2026\9A\Letter_2026.docx